झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

भारतीय गणराज्य के 72वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

(1) यह अधिनियम "झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2021" कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय गजट/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011, जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा जाएगा निम्नांकित संशोधन किया जाएगा:-

(i) मूल अधिनियम के अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-21A, 102 एवं 103 को विलोपित किया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम के अध्याय-4 की धारा-26 (6) को विलोपित किया जाएगा।

(iii) मूल अधिनियम के अध्याय-4 के शीर्षक एवं धारा-28 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

धारा-28 "उपमहापौर और उपाध्यक्ष का निर्वाचन"

"परिषद की बैठक में यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित पार्षद अपने में से एक उप महापौर अथवा उपाध्यक्ष यथास्थिति का निर्वाचन करेंगे जो गोपनीयता की शपथ लेने के पश्चात् अपने पद को ग्रहण करेंगा।"

(iv) मूल अधिनियम के अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2)(क) में सम्मिलित शब्द 'उपमहापौर' एवं धारा-29 की उपधारा-(2) (ख) में सम्मिलित शब्द 'उपाध्यक्ष' को विलोपित किया जाएगा।

(v) मूल अधिनियम के अध्याय-4 की धारा-29 की उपधारा-(2) (ख) के पश्चात उपधारा-2(ग) एवं उपधारा-(2)(घ) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाएगा:-

"2(ग) उपामहापौर की दशा में महापौर द्वारा, और

"2(घ) उपाध्यक्ष की दशा में अध्यक्ष द्वारा।"

(vi) मूल अधिनियम के अध्याय-10 की धारा-95 के शीर्षक एवं उपधारा-(1) एवं (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

धारा-95 "महापौर और अध्यक्ष को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति"

(1) "यदि राज्य सरकार के मत में, महापौर या अध्यक्ष परिषद की लगातार तीन से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहने अथवा जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं कर्त्तव्यों को करने से उपेक्षा करने या इन्कार करने अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के

चलते छः माह से अधिक फरार होने का दोषी हो, तो राज्य सरकार महापौर या अध्यक्ष को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश द्वारा उसे पद से हटा सकेगी।"

(2) "इस प्रकार हटाया गया महापौर या अध्यक्ष शेष पदावधि के दौरान महापौर या अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

(vii) मूल अधिनियम के अध्याय-1 की धारा-2 की उपधारा-(104) को इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से उपधारा-102 समझा जाएगा।

(viii) मूल अधिनियम की धारा-152 में नई उपधारा (11) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"(11) पूंजीगत मूल्य (Capital Value) से अभिप्रेत है झारखण्ड मुद्रांक (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 6 के उप नियम (2), (3), (4), (5) एवं (6) के अंतर्गत जिला अवर निबंधक के द्वारा निर्धारित की गई भूमि या भवन की न्यूनतम कीमत से है जो कि संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को प्रचलित हो।"

(ix) मूल अधिनियम की धारा-152 की उपधारा- (4) एवं (5) को विलोपित किया जाएगा।

(x) मूल अधिनियम की धारा-152 की उपधारा- (6) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

"होल्डिंग के पूंजीगत मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र (Build Up Area) के रूप में संगणित की जायेगी।"

(xi) मूल अधिनियम की धारा-152 की उप धारा- (1) के खंड (ड.) एवं (छ), उप धारा (7) (8) एवं (9) को विलोपित किया जाएगा।

(xii) मूल अधिनियम के अध्याय-19 के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "कर" को शब्द "शुल्क" से प्रतिस्थापित किया जायएगा।

(xiii) मूल अधिनियम की धारा-173 की उप धारा- (1), (2) एवं (3) में प्रयुक्त शब्द "कर" को शब्द "शुल्क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(xiv) मूल अधिनियम की धारा-184 की उप धारा (1) में एक नया खण्ड (छ) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"(छ) निकाय द्वारा दी जा रही नागरिक सुविधाओं को स्थायी/अस्थायी रूप से निलंबित करना।"

(xv) मूल अधिनियम की धारा-187 की उप धारा (1) के खण्ड (क) को विलोपित किया जाएगा।

(xvi) मूल अधिनियम की अनुसूची के क्रमांक-197 के पश्चात् नया क्रमांक-198 को निम्नवत अंतःस्थापित किया जाएगाः-

"(198) अन्य"

(xvii) मूल अधिनियम की धारा-455 की उपधारा (4) के परन्तुक "परन्तु यह कि ऐसा शुल्क किसी भी स्थिति में दो हजार पाँच सौ रूपये से अनधिक होगा।" को विलोपित किया जाएगा।

(xviii) मूल अधिनियम की धारा-602 में सभी जगहों पर प्रयुक्त शब्द "कर" को शब्द "शुल्क" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

****

उद्देश्य एवं हेतु

झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु यह विधेयक लाया जा रहा है। चूँकि, नगर निकाय प्रशासनिक दृष्टिकोण से तृतीय स्तर की सरकार होती है, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इस स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से जनसहभागिता की आवश्यकता है। राजनैतिक दलगत आधार पर निर्वाचान के प्रावधान से बड़ी राष्ट्रीय/क्षेत्रीय दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा से सामान्य नागरिकों की राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तथा इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है।

अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन किये जाने का प्रावधान करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसको अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हेमन्त सोरेन)
भार साधक सदस्य।